झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

तृतीय-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 24.08.2015 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री आलमगीर आलम स0वि0स0	पाकुड़ एवं साहेबगंज जिला के 80% स्टोन क्रशर का परिचालन बन्द हो गया है, क्योंकि वर्ष-2013-2014 से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आवेदन, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद एवं वन विभाग में लम्बित है, जिससे क्षेत्र के लाखों बेरोजगार मजदूर पलायन कर रहे है। अतः झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सरलीकृत कर, समयबद्ध सीमा पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने तथा मजदूरों के पलायन रोकने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	वन एवं पर्यावरण
02-	श्री बिरंची नारायण एवं श्री शिवशंकर उराँव स0वि0स0	वाद संख्या--02/लोक (शिक्षा) 17/2011 में दिनांक- 19.09.2012 को लोकायुक्त, झारखण्ड द्वारा आदेश पारित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जिला शिक्षा अधीक्षक, हजारीबाग के रूप में पदस्थापन के दौरान तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, श्री सच्चिदानन्द द्विवेन्दु तिग्गा ने अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान पद एवं शक्ति का खुल्लमखुल्ला दुरूप्योग किया। जिला शिक्षा अधीक्षक का पद प्राथमिक शिक्षा में जिला स्तर का पूर्ण स्वामित्व युक्त गरिमामयी पद होता है, जिस पर किसी सक्षम एवं जवाबदेह पदाधिकारी को ही पदस्थापित किया जाना चाहिए और उस पर किसी ऐसे पदाधिकारी का पदस्थापन जो अपने कुकृत्य के लिए बिख्यात हो, सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर सकती है।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

कृ0पृ030